संख्या-1135/पांच—6-2001-294/96

"550"

प्रेषक,

श्री सुजीत बनर्जी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ,
स्वास्थ भवन, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 दिनांक 27 जून, 2001

विषय—उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3975/पांच-6-97-294/96, दिनांक 01 जनवरी, 1998 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश द्वारा किये गये अधिकारों के प्रतिनिधायन के अन्तर्गत रु० 10,000 से अधिक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, निदेशक, चिकित्सा है। इस प्रकार के दावों के बड़ी संख्या में प्राप्त होने के कारण निदेशक, चिकित्सा के स्तर पर परीक्षण एवं प्रतिहस्ताक्षर करने की केन्द्रीकृत व्यवस्था से इनके त्वरित निस्तारण में अनुभव की जा रही व्यवहारिक कठिनाईयों तथा चिकित्सा उपचार, पैथालाजिकल टेस्ट और दवाओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत करते हुए शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करके इसे सरल बनाने और शासन के प्रशासनिक विभागों को किये गये प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

2. अतएवं राज्यपाल महोदय प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर तथा स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं—

प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
(क) प्रदेश के अन्दर		
(1) रु० 2000 तक	राजकीय चिकित्सा का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक जहाँ उपचार किया गया हो अथवा जहाँ से संदर्भित किया गया हो।	कार्यालयध्यक्ष।
(2) रु० 2000 से अधिक किन्तु रु 10,000 तक।	उपचार करने वाले अथवा संदर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक।	विभागाध्यक्ष।
(3) रु० 10,000 से अधिक किन्तु रु० 50,000 तक।	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं है वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण।)	शासन के प्रशासकीय विभाग।

प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
(4) रु० 50,000 से अधिक	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं है वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण।)	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से।
समस्त मामले	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं है वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण)	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से।

3. सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक एंव उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति से दावे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुए हों।

4. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवक के परिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल, वह मण्डल माना जायेगा, जहाँ से ऐसे सेवानिवृत्ति कर्मचारी/अधिकारी की पेंशन आहरित की जाती है। प्रदेश के बाहर पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका मण्डल वही माना जायेगा कि जस मण्डल से कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हो।

5. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के पश्चात् विलम्बतम एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण करा कर इसे प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के कार्यालयाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगे जो सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त करेंगे।

6. सेवारत कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तर-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-2 के बिन्दु (1) व (2) में उल्लिखित रु० 10,000 तक के दावे को किन्हीं कारणोंवश सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग और जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं है वहाँ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण को तकीनकी परीक्षण हेतु भेजा जाता है तो उसे परीक्षण करे प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त उसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के प्रशासकीय विभाग को वापस किया जाय। ऐसे दावे किसी भी दशा में बिना परीक्षण के वापस नहीं किये जाने चाहिए।

7. **गैर सरकारी चिकित्सालयों में उपचार :**

(क) प्रदेश के भीतर के गैर सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की दरों पर अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यदि संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान/राजकीय चिकित्सालयों में ऐसी चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध नहीं है तो चिकित्सा विभाग द्वारा ऐसा प्रमाणित किये जाने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। किन्तु प्रदेश के बाहर ऐसी चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ख) संदर्भित शासनादेश संख्या 3975/पाँच-6-97-294/96, दिनांक 01 जनवरी, 1998 इस सीमा तक संशोधिक समझा जाय।

9. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

10. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-जी(2) 1048/दस-2001, दिनांक 12-6-2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

सुजीत बनर्जी, प्रमुख सचिव